लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल — 462023
दूरभाष कमांक : 0755—2583659, ई—मेल : dpividhya@gmail.com

क्र./विद्या/पी/ /2018/1797 भोपाल, दिनांक 01.06.2018

प्रति,

1 संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण समस्त संभाग, म0प्र0

2 जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले, मध्यप्रदेश

विषय :—ज्ञानपुंज व्यवस्था के प्रभावी संचालन हेतु नवीन व्यवस्थाएं विषयक्।

संदर्भ :—शासन की टीप डी.एस.(पी)एस.ई.डी. कमांक 3651 भोपाल दिनांक 21.10.2016।

—00—

ज्ञानपुंज व्यवस्था के पुनः संचालन के संबंध में राज्य शासन से अनुमोदन उपरांत कार्यालयीन पत्र कमांक/विद्या/ज्ञानपुंज/2715 भोपाल दिनांक 25.09.2017 द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे तथा सभी जिलों में प्राप्त आवेदनों पर संचालनालय के प्रभारी अधिकारियों के साक्षात्कार के आधार पर चयन भी किए गए हैं। ज्ञानपुंज योजना के संचालन को और अधिक प्रभावी संचालन के निमित्त संचालनालय में कतिपय संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारियों तथा ज्ञानपुंज के सदस्यों के साथ एक समीक्षा की गई। ज्ञानपुंज योजना हेतु निम्नानुसार निर्णय लिए गए :—

1. ज्ञानपुंज दल को जिले में उपलब्ध कंटेजेंसी राशि से एक लेपटॉप उपलब्ध कराया जाये तथा उनके कार्य की रिपोर्टिंग, परीक्षाओं के परिणाम विश्लेषण तथा अन्य अकादमिक गतिविधियों के लिए एक कम्प्यूटर कार्य जानने वाला सहायक भी उपलब्ध कराया जाए।
2. ज्ञानपुंज दल की बैठक व्यवस्था जिला स्तरीय उत्कृष्ट उमावि में की जाये।
3. ज्ञानपुंज दल पूरे वर्ष में ज्ञानपुंज योजना का ही कार्य करेंगे। इन्हें गैर अकादमिक कार्यो में नहीं लगाया जाए। ज्ञानपुंज हेतु चयनित किसी भी सदस्य को बिना आयुक्त लोक शिक्षण की अनुमति के विद्यालय के लिये कार्यमुक्त नही किया जायेगा।
4. तीन वर्ष तक ज्ञानपुंज दल में कार्य करने वाले शिक्षक/व्याख्याता को तीन वर्ष पश्चात उनके आवेदन करने पर यथासंभव उनके आवेदन अनुसार पदस्थापना में पदस्थ किया जा सकेगा।
5. हर जिले में गठित ज्ञानपुंज दल को दो दलों में बांटा जाएगा तथा इन्हें विकास खण्ड आवंटित किये जायेगे। यह दल मुख्यतः जिले के सबसे कम हाई स्कूल परीक्षा परिणाम वाली 30 प्रतिशत शालाओं का निरीक्षण समय समय पर करेंगे। उन विद्यालय का परीक्षा परिणाम बेहतर हो इसके लिये कार्य योजना तैयार करेंगे।
6. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य अथवा ए.डी.पी.सी. को जिला अकादमिक समन्वयक तथा ज्ञानपुंज दल का समन्वयक मनोनीत किया जाएगा।
7. अब तक चयनित ज्ञानपुंज दल के अतिरिक्त शेष सदस्यों के चयन के लिए आवेदन बुलाने के स्थान पर जिला शिक्षा अधिकारी संचालनालय के जिले के प्रभारी अधिकारी के साथ यह दल अपने कार्य का जिले में कार्यरत उस विषय के निरंतर श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले योग्य, परिश्रमी एवं अच्छी छवि वाले शिक्षकों का पैनल बनायेंगे एवं

उक्त पैनल में से सहमति देने वाले योग्यतम शिक्षक को ज्ञानपुंज दल के सदस्य के रूप में चयनित कर सकेंगे। शासनादेश कमांक/एफ 27-2/2012/20-2 भोपाल दिनांक 17.01.2012 की कण्डिका 6 के अनुसार ज्ञानपुंज सदस्य के स्थान पर अतिथि शिक्षक से कार्य लिया जाएगा तथा उसका भुगतान विभाग के नियमित बजट शीर्ष से किया जाएगा।

8. ज्ञानपुंज दल द्वारा प्रतिमाह उनका प्रगति प्रतिवेदन जिला अकादमिक समन्वयक के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसकी प्रति **dpividhya@gmail.com** पर प्रेषित की जाएगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का पालन करते हुए शिक्षा विभाग के समस्त जिलों में संचालनालय के जिला प्रभारी अधिकारी के साथ समन्वय करते हुए ज्ञानपुंज दल के सदस्यों का चयन 30 जून के पूर्व करते हुए जिले में अकादमिक गतिविधियों के समुचित संचालन के लिए ज्ञानपुंज दल का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

"आयुक्त महोदया द्वारा अनुमोदित"

(धीरेन्द्र चतुर्वेदी)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म0प्र0
भोपाल, दिनांक 01.06.2018

पृ0क्र./विद्या/पी/ /2018/1798
प्रतिलिपिः–,

1. अपर संचालक, राज्य कार्यालय , राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त सहायक जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त प्राचार्य, जिला स्तरीय शासकीय उत्कृष्ट उ0मा0वि, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म0प्र0